



## भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार उपक्रम)

कार्यालय महा प्रबंधक दूरसंचार जिला नैनीताल  
दूरभाष केंद्र, आवास विकास, हल्द्वानी- 263139

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, उत्तराखण्ड

पत्रांक:- AGM/Tx/NOFN/Ramanagr/ROW-Forest/2020-21/11

दिनांक: 08.04.2022

प्रस्ताव संख्या :FP /UK /OFC/146450/2021

परियोजना का नाम:- भारत सरकार की " भारत -नेट / NOFN परियोजना " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फौरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फौरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे - किनारे ऑटिकल फाइबर केबल (OFC) डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

**विषय :-** वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संख्या :FP /UK /OFC/146450/2021 की आपत्तियों का निस्तारण।

**सन्दर्भ :-**आपका पत्रांक :1536 /FP /UK /OFC/146450/2021 दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संख्या :FP /UK /OFC/146450/2021 के सम्बन्ध में 16.12.2021 की आपत्ति लगायी गयी थी जिसका निराकरण कर आख्या को प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर कार्यालय में प्रेषित की जा रही है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	आपत्तियों का निस्तारण
1.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे-किनारे OFC केबल बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Hand Book के पैरा 4.1 एवं 4.2 के अनुसार अपेक्षित ROW की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।	भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, भारतनेट एक प्रमुख कार्यक्रम है तथा सभी ग्राम पंचायतों तक ऑटिकल केबिल बिछाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जा रही है। इस आशय हेतु भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच अनुबंध MOU No. NOFN /ROW -28 दिनांक 26.10.2012 को किया गया है जो कि परियोजना की लाइफ साइकिल तक मान्य है। मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा भी पत्रांक 360 /xxxiv /2014 /20 /2012 दिनांक 8 अगस्त, 2014 द्वारा उक्त कार्यों हेतु ROW की Blanket स्वीकृति प्रदान की गयी है। आपत्ति का निस्तारण हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 3 में संलग्न है।
2.	प्रस्ताव में एफ०आर० ए० पूर्ण संलग्न नहीं है।	सम्बंधित आपत्ति की सूचना प्रस्ताव के पृष्ठसं०-1 में दी गयी है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या11-9 / 98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) परियोजनाओं यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। FRA की धारा 3(2) के तहत भारत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं के लिए वन भूमि के Diversion को रैखिक(Linear) परियोजना के मामले में छूट दी गई है।

3.	प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी अपेक्षित है।	सम्बंधित आपत्ति का निराकरण कर दिया है।
4.	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित है।	सम्बंधित आपत्ति का निराकरण कर दिया है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण करने हेतु श्री टी० एस० पांगती, सहायक महाप्रबंधक (ट्रास), बी०एस०एन०एल०, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव अपलोड करने हेतु अधिकृत किया गया है।
5.	प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि का कुछ भाग पवलगढ़ संरक्षित आरक्षित वन के अंतर्गत है, इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की सहमति/आँख्या प्रस्ताव में अपेक्षित है।	सम्बंधित आपत्ति को पत्र संख्या :-2585 /12-1 दिनांक 02 अप्रैल 2022, कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून से अनापत्ति दी गयी है।
6.	उपरोक्त कमियों के निराकरण के पश्चात प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफलाइन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	उपरोक्त कमियों के निराकरण के पश्चात प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करा दी गयी है।

भवदीप

सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस)  
GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)  
जिला - नैनीताल (उत्तराखण्ड)

#### प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
2. State Head & Sr.GM, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) को सूचनार्थ।

*"Free Right of way order from Urd Govt."* सख्ती ६६/XXXIV/2014/20/2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समर्त प्रमुख सचिव/सचिव;  
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

डि.टी.

देहरादून: दिनांक ०४ जून २०१४

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पाल्यमत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) को लिये विछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपत्र वेहिकिल के साथ मार्ग ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का ध्येय किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (अंत संलग्न) का हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएँ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर कंबिल विछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले निम्न की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को दृढ़ता हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इस्लीमेटेशन रिजर्सी है, प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लानी पड़े, इस हेतु ब्लैकेट अप्रूबल एतदद्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत आप्टिकल फाइबर कंबिल (OFC) विछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई न रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर- 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक आप्टिकल फाइबर कंबिल विछाने से सम्बन्धित समर्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भौति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खांदी गयी सतह भरसक उसकी मूल रिथिति में लाई जाए। सड़क की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। पक्की सड़क

को पार करने के लिए एच०डी० अथवा होर्जन्टल वारिंग का प्रयोग किया जाये। ताकि सड़क को छोड़नी लंबी समय को बढ़ाने से बच किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ रमन्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूंकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिव्हिटी !! प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय राज्य सरकार की कमानेयों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) वार्जेज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का अधिकार माना जाएगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिव्हिटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उग पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए व्यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं विजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे रथानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं बेन्टीनेट के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विधाद सफल एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:-


1- जिलाधिकारी-		भूमिका
2-मुख्य विकास अधिकारी-		भद्रस्य सचिव
3-अधिशासी अधिकारी/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग-	1दस्य	
4-अधिशासी अधिकारी/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-	1दस्य	
5-अधिशासी अधिकारी/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग-	1दस्य	
6-अधिशासी अधिकारी/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग-	1दस्य	
7-अधिशासी अधिकारी/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, पैदजल विभाग-	1दस्य	
8-प्रभागीय वनाधिकारी-		1दस्य
9-जिलाप्रधानीराज अधिकारी-		1दस्य
10-सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/नगर अधिकारी-		1दस्य
11-अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित-		1दस्य
संलग्नक:- यथोच्चत् ।		1दस्य

भूमिका  
(सुभानुरुमार)  
गुरुद्वारा राधिव

संख्या ३६६ / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तात्पुरिका

प्रतीलिपि - निम्नतिसिंहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी संघिव अपर मुख्य संघिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी संघिव प्रमुख संघिव एफ०आ००डी०सी० उत्तराखण्ड शासन।
3. संघार एवं सूचना प्रौद्योगिकी भवालय दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
4. भारत बॉडबैड नेटवर्क लिमेटेड देहरादून।
5. गाँड़फाईल।

आशा स.  
  
(रावनाथ रामनन)  
अपर नायेव

Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
(Forest Conservation Division)

\*\*\*\*\*  
Indira Paryavaran Bhawan,  
Aliganj, Jorbagh Road,  
New Delhi - 110003  
Dated: 26th October, 2021

To

The Secretary (Forests),  
All State Governments/UT Administrations

Sub: Clarification on applicability of Forest (Conservation) Act, 1980  
over RoW of Roads - regarding.

Sir,

The undersigned is directed to refer to the meeting of Group of Infrastructure held on 24.08.2021 under the chairmanship of Hon'ble Minister, RT&H and MSME wherein it has been desired to clarify the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of lands within the RoW, ownership of which rests with the NHAI or State Government. The matter with regard to the applicability of the Act in such lands was examined in the Ministry and after due deliberation following is clarified:

"if the ownership of land vests with MoRT&H/NHAI/State road constructing agency, it is not a 'forest' as per Government records and the same land is under 'non-forest use' before 25<sup>th</sup> October 1980, then provisions of Forest (Conservation) Act 1980 would not apply".

This issues with the approval of competent authority.

Sd/-  
(Sandeep Sharma)  
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Secretary, Ministry of Road Transport & Highway, Transport Bhawan, Parliament Street New Delhi-110001
2. PCCF (HoFF), Department of forests, all States/UTs
3. DDG (F), MoEF&CC's all IROs
4. APCCF cum Nodal Officer (FCA), Department of forests, all States/UTs.
5. PPS to Secretary, (EF&CC)/PPS to DGF&SS, MoEF&C

Signed by Sandeep Sharma  
Date: 26-10-2021 18:52:00  
Reason: Approved

(2/2)

**Form -1**  
**(For Linear project)**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Magistrate,Nainital**

No.NTL/2014.Dated.19-08-2021.

**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEf),Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009,Wherein the MoEf issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act,2006 (FRA, for short ) on the forest land proposed to be diverts for non-forest purposes read with MoEfs little dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEf issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.276 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of M/s...BSNL, Nainital.....for Lay of Optical Fiber Cable in Nainital District.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA is exempted for the entire 0.276 Hectares of forest proposed for diversion in case of linear projects.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA is exempted in case of Linear project.
- c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre agricultural communities.

District Magistrate

Nainital

उत्तराखण्ड

राज्य सरकार

१०

भारत नेट (BharatNet) / NOFN (National Optical Fiber Network)  
परियोजना ग्रामनगर क्लाक ले अन्तर्भूत वन-भूमि हस्ताक्षरण हुए तो SOP  
(Standard operating procedure)

वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हेक्टेएक्ट के क्षेत्रफल के कतिपय प्रयोजनों, जिन हतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण। (मुख्य प्रयोजन:—पेयजल, स्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, पारेषण लाईन, भूमिगत ओफिसील केबल, सामुदायिक भवन आदि)

### सारणी-11

क्रमांक	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ अन्य	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	—
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (SIR)	5	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ जिलाधिकारी
7.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी०एफ०ओ०
8.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०
9.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी
10.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	प्रस्तावक डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ जिलाधिकारी
11.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
12.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
13.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक

14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
15.	स्थित स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
16.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हेठो से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
17.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
18.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
19.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन। (यदि लागू हो)	44	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
20.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक

## विषय सूची :-

वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हेक्टेएक्ट के कतिपय प्रयोजनों, जिन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/ सूचनाओं का विवरण। (मुख्य प्रयोजन:-पेयजल, स्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, पारेषण लाईन, भूमिगत ओफिसी बैल, सामुदायिक भवन आदि)

क्रमांक	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	Form-1 (For Linear Project) Govt. of UKD office of the DM, Nainital	-	1
2.	प्रतिवेदन with letters ROW(free right of way order) UKD Govt.	1	2-3
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4	4-10
4.	Certificate of BSNL Ramnagar Block/NOFN/NT/GMTD/2014-15/03	-	11
5.	BSNL attached with each Survey Reports	-	12-13
6.	BSNL Ramanagar BLK GPsroute diagram with Lat/ Long	-	14-17
7.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	18
8.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	19
9.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (SIR)	5	20
10.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6 व 7	21-24
11.	वैकल्पिक सरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	8	25
12.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मौग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	10	26
13.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	27-28
14.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	29
15.	वार चार्ट का प्रारूप	13	30
16.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6	31-37
17.	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र।	16	38
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18	—
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19	39
20.	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकरण द्वारा हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	20	40
21.	मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	29	41-42
22.	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र व परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	31 व 32	43

23.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	33	44
24.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो) संलग्न तहसील रामनगर पर स्थित क्षेत्र की सक्रिय दरों (200 मीटर से बाहर)	34	45-46
25.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र/क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।	35 व 36	47
26.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	48
27.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00हेठो से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	48
28.	मालवा निस्तारण योजना व मानचित्र।	41	49
29.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	42	50
30.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	51
31.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन। (यदि लागू हो)	44	52
32.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में) व वन संरक्षण अधिनियम ,1980 का उल्लंघन न होने प्रमाण-पत्र।	45 व 46	53
33.	MOU (Memorandum of Understanding) DOT, Govt. of India, Govt. of Uttarakhand, BSNL/BBNL	-	54-56
34.	राज्य में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन पत्र मुख्य सचिव द्वारा	-	57-58
35.	Letter NOFN work-Regarding action on review meeting letter from आयुक्त कुमाऊँ मंडल, नैनीताल (Commissioner Kumaon Division,Nainital)	-	59-60
36.	वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को ऑन-लाइन अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा	-	61-63
37.	Network connectivity issues in the state of Uttarakhand letter from Director(ASTF-I)Govt. Ministry of Communications,Dept. of Telecommunications .New Delhi	-	64
38.	Letter from PS Office of the Communications, Law & Justice and Electronics & Information Technology to Hon'ble State Minister	-	65
39.	Letter from State Member of Parliament(Rajya Sabha) to Central Telecom Minister for State network Connectivity.	-	66

परियोजना का नाम :-भारत सरकार की "भारत-नेट / नोफन परियोजना " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑटिकल फाइबर केबल डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

### प्राधिकरण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खंड जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑटिकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि प्रस्ताव, श्री टी.एस.पांगती, सहायक महाप्रबंधक(ट्रांस), बी.एस.एन.एल., हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा, पलोड किया जायेगा।

सहायक महाप्रबंधक  
ट्रांसमिशन, हल्द्वानी (बी.एस.एन.एल)  
जिला - नैनीताल, (उत्तराखण्ड ),  
Mobile No. 9412000 556  
Email Id: agmtnainital@gmail.com

सहायक महाप्रबंधक (प्लानिंग )  
GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल)  
जिला - नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कार्यालय भ्रमणालय दृष्टिकोण  
नैनीताल भूमि भूमि भूमि

परियोजना का नाम:-

जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम टेडा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चैक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे—किनारे ऑपटिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रस्ताव FP/UK/OFC/146450/2021

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण के पत्रांक—एफ0नं0-3201-2D/2020-..FOREST DEPARTMENT, दिनांक 07 जून 2021 एवं प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा उक्त कार्य हेतु याचित कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 678 मी0 आंकलित की गयी है। प्रस्तावित कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक—6-60 / 2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त कार्य हेतु अनापत्ति दी जाती है।

## कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

85, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) फोन - 0135- 2742884 फैक्स नं 2745691 email : cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या — 2585 /12-1 , देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल 2022

प्रतिलिपि:—प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—State Head & Sr. GM, Bharat Broadband network limited को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० पराग मधुकर धकाते)  
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,  
उत्तराखण्ड।

I/561/2021

कार्यालय  
मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधिकारिक वृक्षोदय वाताना  
वन भवन, 86 / 87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।



सेवा में,

सहायक नहाप्रबंधक(दांस)  
भारत संचार निगम लिमिटेड(टी०एस०एन०एल०),  
जिला-नैनीताल।

**विषय :-** परियोजना स्थल में किसी राश्ट्रीय पर्क/ वन्यजीव अन्याशय का हिस्सा न होने व हवाई दूरी का प्रयाग इति के लिए वा दिग्गज की तुलक जमा होने व इस नेतृत्व के लिए आवेदन।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्रांक AGM/T/NOFN/Raunagar/ROW-Forest/2020-21/8 दिनांक 22-04-2021।

नहोदय

उपराख्त सन्दर्भित पत्र के फ्रम न अद्वाच कराना है कि भारत नेट/ NOFN परियोजनाके अन्तर्गत जनपद नैनीताल में रानगर या प्रभाव जे रानी विल वाल तथा छोड़े दैतान से बेलगढ़ कोरेस्ट या कार्स्ट तथा बैलगढ़ फॉर्मेट इष्ट पास्ट से रायाँ और पर्यावरण वन्य तथा सड़क के लिनारे-लिनार ऑफिकल फाइबरो कबल (OFC) इति तह वित्तिक धन की कानूनी काड़िल से हवाई दूरी दिनवत आंकलित की गई है:-

क्र०सं	वन्यजीव अन्याशय/ राष्ट्रीय पर्क/ कन्यैवेशन रिजर्व /आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
0		
1	पावलगढ़ इन्यैवेशन रिजर्व की निकटतम स्थान ८८८ मी०	अन्दर न होकर जा रही है। सीमा रू
2	कोबट टाइगर रिजर्व की निकटतम स्थान ८८८ मी०	इति हायि दूरी जोहाइ0टी0 रानगर के छोड़े दी गयी कर्तव्य काड़िल से सन्तुलित आंकलित की गई है।

भवदीय,

Digitally signed by PANKAJ KUMAR  
Date: Mon Jun 07 13:23:05 IST 2021  
मुख्य वन संरक्षक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

## प्रपत्र-19

परियोजना का नाम :—भारत सरकार की “भारत-नेट / नोफन परियोजना ” के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्षारी ग्राम पंचायत भवन तक सहक के किनारे- किनारे ऑटिकल फाइबर केबल डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

### राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 0.678 किमी० है।

ह०/  
प्रभागीय वनाधिकारी  
राष्ट्रीय वनाधिकारी  
रामनगर वन प्रबन्धालय, रामनगर

नोट :—उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।